

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 56/2020

डी0सी0वी0 बैंक लि0

पता:- एस-5, सैकिण्ड पलौर, गीजगढ टावर,
हवा सडक, सिविल लाईन, जयपुर (राज0)

.....प्रार्थी (बैंक)

बनाम

- (1). सपना ट्रेडर्स जरिये प्रोपराईटर कैलाश चन्द,
पता:-अन्धेरी पुलिया पाल बिसला, अजमेर (राज0) 305001 एवं ए0एम0सी0 नम्बर
383/16, 348/33 पुराना पीले मिया का तकिया, बिसला, अजमेर 305001 (राज0)
- (2). श्री कैलाश चन्द पुत्र स्व0 श्री किशनलाल,
पता:-383/16, पीले मिया का तकिया, पाल बिसला, अजमेर (राज0) एवं ए0एम0सी0
नं0 383/16, 348/33 पुराना, पीले मिया का तकिया,
बिसला, अजमेर (राज0) 305001
- (3). श्रीमती पूनम पत्नी श्री कैलाश चन्द,
पता:- 349/31, गुलाब वाटर के पास, अजमेर (राज0) एवं ए0एम0सी0
नं0 383/16, 348/33 पुराना, पीले मिया का तकिया,
बिसला, अजमेर (राज0) 305001

.....अप्रार्थीगण (सहऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्चुराईटेशन रिक्सटक्शन
आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्चुरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपरिथत :- श्री उमराव बसीटा

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 27.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सं 01 से 03 को दिनांक 31.08.2017 को रु 14,84,443/- (अक्षरे चोदह लाख चौरासी हजार चार सौ तैयालीस रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर संपत्ति ए0एम0सी0 नम्बर 383/16 नया, 348/33 पुराना, पीले मिया का तकिया, पाल बिसला, अजमेर (राज0) स्थित बंधक अचल सम्पत्ति, क्षेत्रफल 35.40 वर्गगज है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्न हैं:-पूर्व में-मकान श्री नारायण जी का, पश्चिम में-रास्ता आम पेसेज है, उत्तर में-मकान ए0एम0सी0 नम्बर-382/16 है, दक्षिण में- मकान ए0एम0सी0 नम्बर-384/16 है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 01.10.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 18.10.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये-16,28,084.95/- (अक्षरे सोलह लाख अठाईस हजार चौरासी रूपये एवं पिचानवे पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्मलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction



27/2/20
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक संपत्ति ए0एम0सी0 नम्बर 383/16 नया, 348/33 पुराना, पीले मिया का तकिया, पाल बिसला, अजमेर (राज0) स्थित बंधक अचल सम्पति, क्षेत्रफल 35.40 वर्गगज है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्न हैं:-पूर्व में-मकान श्री नारायण जी का, पश्चिम में-रास्ता आम पेसेज है, उत्तर में-मकान ए0एम0सी0 नम्बर-382/16 है, दक्षिण में- मकान ए0एम0सी0 नम्बर-384/16 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को सुनाया गया।



Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर